



2026:AHC:59567

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 1695 वर्ष 2026

सतीश चन्द्र उर्फ कल्लू

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया द्वारा परिवाद संख्या 5063/2023 (बीजेन्द्र सिंह @ बीजेन्द्र सिंह बनाम सतीश चन्द्र उर्फ कल्लू) में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत थाना कोतवाली, जिला औरैया में दर्ज, जो की न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया की न्यायालय में लंबित है में दिनांक 05.07.2024 को पारित सम्मन आदेश और उससे संबंधित संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि पक्षों के बीच धन का विवाद है और विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद दर्ज कराई है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि धन के भुगतान को लेकर विवाद है, इसलिए सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से विवाद के सुलझने की प्रबल संभावना है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. जो** 2010 (5) एस.सी.सी. 663 में प्रकाशित हुआ है के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामलों से निपटने के विषय पर विधि सुधारों की दिशा में कुछ विचार दिए गये (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर]:

"... अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ दी जाने वाली सज़ा (परिवादी के लिए) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन की वसूली सुनिश्चित करने का एक साधन है। परिवादी का हित मुख्य रूप से चेक जारी करने वाले को जेल भेजने से ज़्यादा धन की वसूली में निहित है। जेल की धमकी मात्र वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। जहाँ तक आरोपी के जेल जाने की इच्छा का सवाल है, चेक धारक के पास उपाय के रूप में बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं।

यदि हम एक पक्ष की उन परिवादों की संख्या की जांच करें जिनमें समझौता हो गया था या अंतिम निर्णय से पहले निस्तारण हो गया था और दूसरे पक्ष की उन मामलों की संख्या की



जांच करें जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचे थे, तो हम पाएंगे कि अधिकांश मामलों में निस्तारण हो गया था और केवल नगण्य संख्या में मामले ही आगे बढ़े थे।”

18. यह स्पष्ट है कि चेक के अनादरण के अपराध के संबंध में, दंडात्मक पहलू की तुलना में क्षतिपूर्ति पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को भी कुछ हद तक बल मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामले वास्तव में समझौते या सुलह के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में, जिससे न्याय मिलने में अनावश्यक देरी हो रही है। समस्या यह है कि वादी अपने विवाद को सुलझाने के साधन के रूप में देर से सुलह का विकल्प चुनते हैं।.....

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान अटॉर्नी जनरल का निवेदन है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, परिवादो का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने के तुरंत बाद समझौता करने के बजाय, पक्षकार अंतिम उपाय के रूप में समझौता करना चुन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का एक कारण यह हो सकता है कि आरोपी मुकदमे की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने का जोखिम उठाना चाहते हैं और समझौता तभी चुनते हैं जब कोई अन्य रास्ता न बचे। हालांकि मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से यह व्यवहार तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समझौता करने में अनावश्यक देरी से विभिन्न स्तरों पर अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ जाती है। यदि आरोपी मुकदमे के बाद के चरण में समझौता करने या अपराध का निस्तारण करने के लिए तैयार है, तो यह आमतौर पर परिवादी के मामले में कुछ सच्चाई का संकेत होता है। ऐसे मामलों में, यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमे के शुरुआती चरणों में ही समझौता करना चुनें। हालांकि, यदि आरोपी के पास गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसे वैध बचाव हैं, तो मामले को सक्षम न्यायालय के माध्यम से उठाया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अधिवक्ता के अनुरोधानुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त आज से एक माह की अवधि के भीतर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर समझौता करके अपराध के निपटारे की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत करे और चेक राशि का 10% जमा करे। ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगा और अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार माह की अवधि तक का अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद, न्यायालय **दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए आज से पांच माह की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के निपटारे के लिए अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होना और मुकदमे का सामना करना आवश्यक है और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करने और उसे सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम और कानून के अनुसार अनिवार्य उपाय करने की स्वतंत्रता होगी।

7. उपर्युक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, आरोपी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से यह आवेदन इस न्यायालय में दायर किया गया है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ इस आवेदन का **निस्तारण** किया जाता है।

23 मार्च, 2026

मीनू सिंह

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।